न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2580 / 2005 / बीकानेर

1– रामस्वरूप पुत्र रतीराम विश्नोई, निवासी लक्ष्मीनारायणसर, तहसील लूनकरनसर, जिला बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राजस्थान राज्य सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक
2– सरोज
3– सुमित्रा } पुत्रियान स्व. श्रीमति कलावती पत्नि स्व. गंगाजल निवासी
4– द्वारिका } ढाणी लक्ष्मीनारायणसर तहसील लूनकरनसर, जिला बीकानेर

5– दिनेश पुत्र श्रीमती कलावती
6– राजाराम पुत्र रतीराम विश्नोई, निवासी ढाणी लक्ष्मीनारायणसर तहसील लूनकरनसर, जिला बीकानेर।
7– श्रीमती जमना पुत्री रतीराम पत्नि स्व. सोहनलाल, जाति विश्नोई, निवासी सरदारपुरा, तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।
8– श्रीमति शांति पत्नि मनोहर पुत्री रतीराम विश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री के.के. पुरोहित, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्रीनिवास बेनिवाल, राजकीय अभिभाषक
श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुतकर्त्ता श्री हिमताराम

दिनांकः— 23—4—2025

निर्णय

1— यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18—3—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 व 188 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता रतीराम के नाम दर्ज ग्राम रोही ढाणी लक्ष्मीनारायणसर में स्थित खसरा नम्बर 34 की 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 की 53 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 की 33 बीघा कुल 90 बीघा 16 बिस्वा तथा ग्राम डेलाना छोटा में स्थित खसरा नम्बर 51 की 40 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 की 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 की 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 की 2 बीधा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 की 34 बीघा, खसरा नम्बर 54 की 66 बीघा 9 बिस्वा कुल 122 बीघा 14 बिस्वा इस प्रकार दोनों गांवों की कुल 213 बीघा 10 बिस्वा भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व की है। इस भूमि में से ग्राम डेलाना छोटा के खसरा नम्बर 63 की कुल भूमि 52 बीघा 12 बिस्वा थी, जिसमें से 50 बीघा भूमि रतीराम को आवंटन कर दी गई। विवादित भूमि उपनिवेशन में आने के बाद सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने दिनांक 28—9—1976 को उक्त शेष भूमि आराजीराज घोषित कर दी। चूंकि रतीराम के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है, इसलिए वादग्रस्त आराजी उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के समक्ष उक्त वाद पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 26—8—2004 द्वारा निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18—3—2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी वादी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हिमताराम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर अर्से दराज से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थी एक सदभाविक काश्तकार है। इसलिए प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। उपरोक्त तर्कों के विरोध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है, जिसकी प्रार्थी द्वारा कोई निगरानी दायर नहीं की गई। प्रार्थी का विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं होने से द्वितीय अपील के स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज योग्य है।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि पर पूर्व में रतीराम तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 सम्वत् 2012 से काबिज काश्त होने से वे इस पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रतीराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लगातार चलता आ रहा था, किन्तु सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने उनकी कब्जा काश्त भूमि का बिना किसी अधिकार क्षेत्र व बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये एवं अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना आदेश दिनांक 28—9—1976 द्वारा इस भूमि को आराजीराज अंकन करने में कानूनी त्रुटि की है। रतीराम को 50 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जबकि वर्ष 1975 के आवंटन नियमानुसार शेष बची भूमि उसकी बालिग संतानों को आवंटन अधिकारी द्वारा स्वतः ही आवंटित करनी चाहिए थी। आवंटन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं करने से कानूनी त्रुटि की गई है। धारा 15एएए की उपधारा 2 (ए) के अनुसार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे तथा दावे में उनके द्वारा इसके समर्थन में साक्ष्य भी पेश

किये गये थे, फिर भी उक्त समस्त तथ्यों पर विचार एवं विश्लेषण किये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कानूनी त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने मात्र तनकी संख्या 1 व 2 को विवेचित किया गया है, जबकि तनकी संख्या 3 व 4 पर बिना विवेचन निर्णय दे दिया गया। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा भी निर्णय में तनकीवार विश्लेषण नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश विधिसम्मत न होने से निरस्त योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि में से वादी के पिता रतीराम को नियमानुसार रूप से 50 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई तथा शेष रही वादग्रस्त भूमि को सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 28—9—1976 द्वारा नियमानुसार आराजीराज घोषित की गई। यदि वादी उक्त आदेश से व्यथित था तो उसे उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलार्थी ने कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो कि उक्त आदेश दिनांक 28—9—1976 को कहीं चुनौती दी हो। उक्त आदेश दिनांक 28—9—1976 कायम रहते वादी को प्रकरण में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। अपीलार्थी वादी ने दावे में संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों को प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अधीनस्थ दोनों न्यायालयों की ऑब्जरवेशन्स व निर्णय में कोई त्रुटि होना नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने मुख्य विवाद्यकों पर साक्ष्यपरक व विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के तथ्यों व साक्ष्यों का स्पष्ट व पूर्ण विश्लेषण उपरांत अपना निर्णय दिया गया है जिसे कतई त्रुटिग्रस्त होना नहीं माना जा सकता। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय स्पष्ट एवं गुणावगुण पर आधारित होकर इनमें क्षेत्राधिकार अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उनके निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय का विश्लेषण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख पर आद्योपांत विचारण किया गया।

8— प्रार्थी हिमताराम द्वारा वादग्रस्त भूमि में कब्जा काश्त होकर इसमें उसका हक भी निहित होने के कथन के साथ उसे हस्तगत अपील में पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के साथ अपने क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार उसके द्वारा दावे में भी पक्षकार बनाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने उपरांत गुणावगुण पर विस्तृत विवेचित करते हुये आदेश दिनांक 28—5—2004 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा न तो अपने प्रार्थना पत्र में यह वस्तुस्थिति बताई गई है और न ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में कभी चुनौती दी गई। अतः हम इस अपील स्टेज पर प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाने का कोई औचित्य अथवा विधिसम्मत आधार होना नहीं मानते हैं, लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

9— प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 का क्लेम है कि उनके मौरूस रतीराम को 50 बीघा भूमि ही आवंटित हुई जबकि दावे में बताई गई शेष भूमि पर भी अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 रतीराम के उत्तराधिकारी होकर खातेदारी स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसे कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने गलत रूप से आदेश दिनांक 28—9—1976 द्वारा आराजीराज घोषित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे को विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के अभाव में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—8—2004 से खारिज किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा दायर प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 18—3—2005 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारों पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश का परीक्षण करने पर हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी के भूमि पर कब्जा काश्त व इस आधार पर अधिकार प्राप्त होने के क्लेम को प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत तथ्यपरक एवं विधिक व्याख्या करते हुये उसका क्लेम साबित तथा स्वीकारयोग्य होना नहीं माना है। विचारण न्यायालय द्वारा विरचित तनकीयात पर स्पष्ट व सारवान विश्लेषण करते हुये वादी के दावे के आधारों को साबित होना नहीं माना है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी के क्लेम व आपत्तियों को स्पष्टतः विवेचित कर सकारण विनिश्चय द्वारा अपील को स्वीकारयोग्य नहीं होना पाया है।

प्रकरण में वादी के पिता रतीराम को 50 बीघा भूमि आवंटित किये जाने तथा आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि कब्जेराज लेने के निर्णय दिनांक 28–9–1976 दोनों ही आदेश दस्तावेज अपीलार्थी वादी के भूमि पर स्वामित्व घोषित करवाने के आधार के परीक्षण व विवेचन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी ने दावे में आदेश दिनांक 28–9–1976 का उल्लेख न कर इस पर कोई उजर भी नहीं लिया है। उसके द्वारा इस आदेश को कहीं चुनौती न देने तथा यह आदेश यथावत स्टैण्ड करने से वादी पृथक दावे के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधितः अधिकारी नहीं है। हमारा सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती होकर उनके द्वारा स्पष्ट विश्लेषण उपरांत पुष्ठ व विधिसम्मत आधारों पर अपीलार्थी वादी का विवादित भूमि पर अधिकार बनने के क्लेम को स्वीकार योग्य न होना माना है, जिनमें हम कोई हस्तक्षेप योग्य तथ्यपरक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होना पाते हैं।

10– अतः उरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत अपील अस्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री क्रमश दिनांक 26–8–2004 तथा दिनांक 18–3–2005 को यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य